दूरभाष : 0522–2286709
फैक्स : 0522–2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001

पत्रांकः– 4344 /241/NULM/तीन/2001(SUH)VOL-II दिनांक 03/2/2015

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सहारनपुर, झांसी, बुलन्दशहर, मैनपुरी, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, वाराणसी **को छोडकर**

2. **समस्त अधिशासी अधिकरी/नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत**
उ0प्र0।

विषयः–**मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 ई0 आर0 कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अभिकरण मुख्यालय के पत्र संख्या–3917/241/NULM/तीन/2001(SUH)VOL-II दिनांक– 13.01.14 पत्र संख्या– 3814/241/NULM/तीन/2001 (SUH)VOL-II दिनांक– 09.01.14 एवं पत्र संख्या– 3619/241/NULM/तीन/2001 (SUH)VOL-II दिनांक– 30.12.14 एवं पत्र संख्या– 2866/241/NULM/तीन/2001 (SUH)VOL-II दिनांक– 18.11.14 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण पर सुनवाई दिनांक 13.02.2015 को निर्धारित है।अधिवक्ता मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित अपेक्षित सूचनायें दिनांक 25.01.2015 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है जो कि नगरीय निकायों से सूचनायें न मिलने के फलस्वरूप उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसे शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है।

शासन के पत्र संख्या– 89/69–1–2015–14(165) 2014, दिनांक– 29.01.2015 द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति(एक्जीक्यूटिव कमेट) की बैठक मुख्य रूप से प्रकरण की समीक्षा हेतु दिनांक 09.02.2015 को आहूत की गयी है। उक्त बैठक में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आश्रयहीनों की सूचना प्रस्तुत की जानी है।

शहरी बेघरों के सर्वेक्षण हेतु प्रारूप–1 एवं शेल्टर होम (स्थाई/अस्थाई) में सेवाओं/सुविधाओं के सर्वेक्षण हेतु प्रारूप–2 उल्लिखित पत्रों के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। उक्त दोनो प्रारूप www.sudaup.org पर उपलब्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की महत्वता के दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना ई–मेल/फैक्स के माध्यम से प्रत्येक दशा में दिनांक 06.02.2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत की जा सके व मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने हेतु भेजा जा सके।

भवदीय,

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक– तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उल्लिखित पत्र नगरीय निकायों को अपने स्तर से प्रेषित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन त्वरित गति से सभी नगरीय निकायों में सुनिश्चित कराते हुए आख्या अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबंधन इकाई, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा सहारनपुर, झांसी, बुलन्दशहर, मैनपुरी, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, वाराणसी **को छोडकर** को इस के साथ प्रेषित कि वे नगरीय निकायों से समन्वय कर सर्वेक्षण की शहरवार अद्यतन आख्या निर्धारित प्रारूपों के अनुसार अभिकरण मुख्यालय को दिनांक 03.02.2015 तक ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक वेबमास्टर सूडा को ई–मेल से प्रेषण एवं वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

03.02.15

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक